

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक :- एफ.4(ई) एच-85/2023/अलेसे-III/9050

दिनांक :- 03.11.2025

कार्यालय आदेश

श्रीमती हिमांशी कुमारी, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 759560)(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा दिनांक 26.09.2025 को अग्रेषित प्रार्थना-पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 04.09.2025 तक (कुल 04 दिवस) (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)
दिनांक 09.09.2025 से दिनांक 18.09.2025 तक (कुल 10 दिवस) (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती हिमांशी कुमारी, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें।



(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 03.11.2025

क्रमांक :- एफ.4(ई) एच-85/2023/अलेसे-III/9050

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. श्रीमती हिमांशी कुमारी, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)